

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर
प्रार्थी :- श्री डूले सिंह
किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- श्री सम्पत
पत्रावली संख्या : 117/22
GCMS: 2022/181

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 26.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 1 से 8 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। अनुपस्थित हैं। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थीगण की बहस को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थीगण के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लूणदा पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड़ उदयपुर राज. में खाता संख्या 57 पर अंकित आराजी नम्बर 605, 606, 607, 608बीड़, 609टुकड़ी, 610 कुड़ा वाली टुकड़ी, 611 आ.चा., 612, 613 किता 9 रकबा 2.9500 हेक्टर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड़ को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू-प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नंबरान के आधार पर पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड़ को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।



(रमेश सीन्धी पुनाडिया RAS)
उपसहायक कलक्टर भीण्डर
भीण्डर उदयपुर (राज.)

